ग्रुञ्ज

<u>प्रारूप–2</u>

<u>कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं</u>

दुरभाष एवफैक्सनम्बर– 01592 – 235475/235474 E mail Id :- dpoelejjn@gmail.com

ाक –जिशिअ / प्रार / झु / मान्यता / 2012 / 402 दिनांक:– 30.10.11

ाधक

कोहिनूर शिक्षण संस्थान
पुलिसलाईन के पास झुंझुनूं

विषय –नि:शुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

ोदय / महोदया

आपके दिनांक:– ~~23 फरवरी 2012~~ 19.10.11 के आवेदन और इस संबंध मे विधालय के साथ पश्चात्‌वर्ती

ाधार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं 1/4/10 ... 31/3/13 तक तीन वष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8

हिन्दी माध्यम) को दिनांक – ~~सत्र 2012~~ से दिनांक:– ...

क के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए

ने के अध्याधीन है

मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विधालय नि:शुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3 विधालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभ ग्रस्त समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी / विधालय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7 विधालय सुनिश्चित करेगा कि –

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।

(VI) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाच वर्ष की अवधि के भीतर एसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है ।

(VIII) अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन किया कलापो मे नियोजित नही करेंगे।

8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विधालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामाकन करेगा।

10 विधालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है–

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

कीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरो की सख्या

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओके लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जायेगी।

12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समुह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15 विधालय के लेखाओ के चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।

16 आपके विधालय को आवटित मान्यता कोड सख्याक 402 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19 सलग्न उपाबध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.E 2009 के समस्त मापदण्डो की पूर्ति अवश्य करें, वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जावेगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा–5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के वर्तमान नाम के स्थान पर उनके सम्मुख अंकित संशोधित नवीन नाम की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का संशोधित नवीन नाम
1	अलवर	संजीवनी माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा, बहरोड़, अलवर	संस्कार माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा, बहरोड़, अलवर
2	अलवर	श्री कृष्ण पब्लिक उमावि. बानसूर, अलवर	नाईस उमावि. बानसूर, अलवर
3	अलवर	इण्डियन मावि. तिजारा, अलवर	टैगोर मावि. तिजारा, अलवर
4	चूरू	आदर्श प0 मावि. भैरूसर, सरदारशहर, चूरू	प्रगति मावि. भैरूसर, सरदारशहर, चूरू
5	कोटा	न्यू मयक पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा	लॉर्ड बुद्धा पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा
6	कोटा	आदर्श गुरुकुल मा. वि. आदर्श नगर, बापू कॉलोनी, कोटा जंक्शन, कोटा	अमन सैकण्डरी स्कूल, आदर्श नगर, बापू कॉलोनी, कोटा जंक्शन, कोटा
7	कोटा	सर्वोदय चिल्ड्रन मा. वि. विज्ञान नगर, कोटा	महर्षि अरविन्द हाई स्कूल, विज्ञान नगर, कोटा
8	टोंक	माध्यमिक एम.के. मेमोरियल स्कूल,खणदेवत रोड़, निवाई, टोंक	विनायक पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, खणदेवत रोड़, निवाई, टोंक
9	श्रीगंगानगर	एम. एस. एम. मैमोरियल सी. सैक. स्कूल, 7 जेड, श्री करणपुर रोड़, श्रीगंगानगर	एम. एस. एम. सैनिक स्कूल, 7 जेड, श्री करणपुर रोड़, श्रीगंगानगर
10	हनुमानगढ	जय भारत पब्लिक उमावि. रावतसर, हनुमानगढ	दुर्गा लीला पब्लिक स्कूल, रावतसर, हनुमानगढ
11	भरतपुर	बाल गोपाल विद्या मंदिर उमावि. खेरली रोड़, नदबई, भरतपुर	श्री राधे (एस.आर.) सी. सै. स्कूल, नदबई, भरतपुर
12	धौलपुर	सी. एस. न्यू पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, बाड़ी धौलपुर	के. एस. शिक्षा निकेतन, माध्यमिक विद्यालय, बाड़ी धौलपुर
13	स0मा0	नेशनल पब्लिक सी0सै0 स्कूल गंगापुर सिटी स0मा0	नोबल पब्लिक सी0सै0 स्कूल गंगापुर सिटी स0मा0
14	बाड़मेर	इण्डियन पब्लिक मावि. लीलसर, बाड़मेर	वांकल विद्या मंदिर मावि. लीलसर, बाड़मेर
15	बाड़मेर	एच0आर0एस0 इण्डियन पब्लिक मावि. खडीन, बाड़मेर	प्रभात विद्या पीठ मावि. खडीन, बाड़मेर
16	झुन्झुनू	ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय, बाईपास रोड़, सिंघाना, झुन्झुनू	संस्कार सैकण्डरी स्कूल, बाईपास रोड़, सिंघाना, झुन्झुनू
17	झुन्झुनू	श्री सीताराम टीबड़ेवाला मा. आदर्श विद्या मंदिर वार्ड नं. 1 मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू	श्रीमती मंजरी देवी नथमल गाडोदिया माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर वार्ड नं. 1 मुकुन्दगढ़, जिला झुन्झुनू
18	झुन्झुनू	कोहिनूर शिक्षण संस्थान, झुन्झुनू	दी स्टार एकेडमी शिक्षण संस्थान, झुन्झुनू
19	झुन्झुनू	आदर्श ग्रामीण पब्लिक स्कूल, उदयपुरवाटी रोड़, किरोड़ी, झुन्झुनू	एकता पब्लिक स्कूल, उदयपुरवाटी रोड़, किरोड़ी, झुन्झुनू
20	झुन्झुनू	राजस्थान विद्या मंदिर उ.मा.वि. चिड़ावा, झुन्झुनू	मदर लेण्ड सी. सैक. स्कूल, चिड़ावा, झुन्झुनू
21	झुन्झुनू	दीपक पब्लिक उ.मा.वि. रायली बस स्टेण्ड, कुहाड़वास, जिला झुन्झुनू	भरत सी. सैक. स्कूल, रायली बस स्टैण्ड, कुहाड़वास, जिला झुन्झुनू

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(सुवालाल) 18/8
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/मा/अ–3/भनावमा/मूल/2015 दिनांक : 18·8·15

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर